कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/17/2025

श्री भानु प्रकाश निवासी ग्राम हौंता, पोस्ट खेरली गडासिया, ब्लॉक नदवई जिला भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी नदबई जिला भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 27.05.2025

अपीलार्थी श्री भानु प्रकाश निवासी ग्राम हौंता, पोस्ट खेरली गडासिया, ब्लॉक नदबइ जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत इस आश्य की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र सं0 060633678835411 दिनांक 24.03.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी नदबई से सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/25/392 दिनांक 01.05.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी नदबई से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी नदबई से पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/1192 दिनांक 26.05.2025 से जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब पर गौर किया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में उल्लेख किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना ग्राम पंचायत जहॉगीरपुर पंचायत समिति नदबई जिला भरतपुर से सम्बन्धित थी जो ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अपने पत्रांक 54 दिनांक 26.05.2025 से उपलब्ध करा दी गई है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

......2

 अपील/आरटीआई/17/2025
भानु प्रकाश बनाम एस.डी.ओ. नदबई

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब एवं संलग्न पत्रादि के अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि निकल जाने के उपरान्त सूचना उपलब्ध कराई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निश्चित समय सीमा का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा निर्धारित समय सीमा के पश्चात सूचना उपलब्ध कराई गई है। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई को भविष्य में तय समय सीमा में ही सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु हिदायत दिया जाना उचित पाते हैं।

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं हैं

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई को भेजकर हिदायत दी जाती है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र द्वारा चाही गई सूचना निर्धारित समय सीमा में ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर